

न्यायालय-सुश्री अपूर्वा मिश्रा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 होशंगाबाद के  
न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद


सूचना-पत्र

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर की एडवाईजरी/निर्देश क्र0 345/आर.जी./2020 जबलपुर दिनांक 17.03.2020 एवं एडवाईजरी दिनांक 20.03.2020 के अनुसार दिनांक 31.03.2020 तक कोरोना वायरस (covid-19) के संक्रमण को देखते हुए केवल अत्यंत आवश्यक प्रकृति के मामलों में जैसे जमानत आवेदन और स्टेट/अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्रों की सुनवाई की जाना है। शेष समस्त प्रकरणों को उक्त अवधि में स्थगित रखे जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है जिसके पालन में आज दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के लिए नियत समस्त व्यवहार/आपराधिक प्रकरणों को पूर्व प्रक्रम पर ही निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किये जा रहे हैं :-

क्र0	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	20.03.2020	07.04.2020
2	23.03.2020	08.04.2020
3	24.03.2020	09.04.2020
4	26.03.2020	15.04.2020
5	27.03.2020	16.04.2020
6	28.03.2020	17.04.2020
7	30.03.2020 एवं 31.03.2020	20.04.2020

प्रतिलिपि-

- 1- कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अधीक्षक, केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि वे उक्त कालम नं0 2 में वर्णित पेशी दिनांकों के वारंट/अभियुक्त को कालम नंबर 2 में वर्णित नियत दिनांकों को न्यायालय में पेश करें।
- ✓ 4- सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय होशंगाबाद की ओर सूचना पत्र न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड करने बावत प्रेषित।
- 5- न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

  
20/03/2020

(सुश्री अपूर्वा मिश्रा)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 होशंगाबाद  
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश,  
होशंगाबाद

(सुश्री अपूर्वा मिश्रा)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

होशंगाबाद के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश

होशंगाबाद